

संख्या: ई०एक्स०एन०-द०क्षे०-स्टोर-
आबकारी व कराधान विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी व कराधान विभाग (द०क्षे०), ब्लाक नम्बर-२९ एस.डी.ए कॉम्प्लैक्स, शिमला-०९ में अनुपयोगी सामान की नीलामी दिनांक ०२/०६/२०२३ प्रातः ११:०० बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय परिसर में की जाएगी।

नीलामी हेतु नियम व शर्तें-

- १ बोली दाता अनुपयोगी सामान की नीलामी से पूर्व किसी भी कार्यदिवस को निरिक्षण कर सकता है।
- २ बोली दाताओं को बोली देने से पूर्व नीलामी हेतु मु० ५०००/- रुपये की नगद राशि धरोहर राशि के रूप में नीलामी स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करवानी होगी, जिसे बोली पूर्ण होने पर वापिस कर दिया जायेगा।
- ३ उच्चतम बोली दाता को नीलामी स्वीकृति के उपरान्त नीलामी की समस्त राशि तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करवानी होगी तथा उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को नीलामी राशि में समायोजित किया जायेगा। उच्चतम बोली दाता को परिसर से नीलाम किये गये सामान को उठाने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि समस्त राशि का भुगतान किया जा चुका हो।
- ४ नीलाम किये सामान को सफल बोली दाता द्वारा इस कार्यालय परिसर से दो दिन के भीतर उठाना होगा अन्यथा विलम्ब हेतु प्रत्येक दिन रु० ५००/- हर्जाना अदा करना होगा।
- ५ अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ग्रेड-I (द०क्षे०) हि० प्र० शिमला-९ को बिना कारण बताए बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(पंकज शमी) हि०प्र०स०

अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ग्रेड-I (द०क्षे०)
हिमाचल प्रदेश शिमला-९

दुर्भाष ०१७७-२६२०७७५

पृष्ठांकन संख्या: ई०एक्स०एन०-द०क्षे०-स्टोर- २८३८-५८ दिनांक २०/०५/२३

प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- १ आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी हिमाचल प्रदेश, शिमला .१७१००९.
- २ नियन्त्रक भण्डार, हि० प्र०।
- ३ उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला हि० प्र०।
- ४ महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र शिमला।
- ५ अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग य००एस०क्लब० शिमला.१७१००१।
- ६ पुलिस अधीक्षक, शिमला हि० प्र०।
- ७ अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (आई०टी०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त नीलामी सुचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- ८ समस्त उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त नीलामी का व्यापक प्रचार / प्रसार करें।
- ९ सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला किन्नौर स्थित रिकॉर्डिंग्स को व्यापक प्रचार / प्रसार हेतु प्रेषित है।
- १० कार्यालय नोटिस बोर्ड व विभिन्न शिमला स्थित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार / प्रसार हेतु।

(पंकज शमी) हि०प्र०स०

अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ग्रेड-I (द०क्षे०)
हिमाचल प्रदेश शिमला-९
दुर्भाष ०१७७-२६२०७७५